न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0

42

Rs. 30/-

III/निग0/रीवा/भू.रा./2017/2213

रमाशंकर पिता ठाकुर प्रसाद तिवारी उम्र 57 वर्ष पेशा खेती निवासी मलपार तहसील त्योंथर जिला रीवा म0प्र0 --- आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

शासन म0प्र0 ---- अनावेदक/गैरनिगरानीकर्ता

अभि0 श्री डी.पी. पाण्डेय द्वारा पेश/ 10.7.17

निगरानी विरुद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक मण्डल त्योंथर के प्र0क्र0 25अ12/15-16 आदेश दिनांक 3-8-16

====

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959ई

=====

मान्यवर,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है-

==

1:- यह कि आवेदक द्वारा भूमि क्र0 222/1क/1 रकबा 0-0042 है0 का सीमांकन के लिये आवेदन राजस्व निरीक्षक मण्डल त्योंथर के यहां ग्राम मलपार का भूमि के संबंध मे दिया गया जिस पर हल्का पटवारी द्वारा सूचना देकर सीमांकन फील्ड बुक तैयार की गई जिस पर आपत्ति होने पर प्रकरण को वापस बुलाया गया और सीमांकन स्थगित कर दिया गया , पुन: दिनांक 27-7-16 को मौके पर न जाकर हल्का पटवारी द्वारा 27-16 को नाप की गई और बिना आवेदक को सूचित किये यह कहा गया कि आवेदक द्वारा 30 कड़ी शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा किया है जिसकी पुष्टि बिना आवेदक की जानकारी के दिनांक 3-8-16 को की गई जिसकी जानकारी 2-6-17 को आवेदक को हुई जिससे परिवेदित होकर निम्न आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है :-

क्रमश: 2....

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्र0 दो–निगरानी/रीवा/भू.रा./2017/2213

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-7-18	आवेदक के अभिभाषक को निगरानी की ग्राह्यता पर सुना गया। यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त त्योंथर तहसील त्योंथर जिला रीवा के प्र0क्र0 25 अ–12/2015–16 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 3–8–16 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर के सर्किल कोर्ट रीवा पर दिनांक 10–7–17 को प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक व्दारा उसके स्वामित्व की भूमि स0क्र0 222/1/क/1 रकबा 0.041 है. स्थित ग्राम मलपार के सीमांकन की मांग करने पर राजस्व निरीक्षक वृत्त मनगवॉ ने प्र0क्र0 25 अ–12/2015–16 पॅजीबद्व करके सीमांकन कार्यवाही कराई है। राजस्व निरीक्षक व्दारा सीमांकन आदेश दि. 3–8–16 में इस प्रकार अंकित किया है – • **पटवारी व्दारा दिनांक 15–6–16 को विधिवत् सूचना आवेदित आराजी का सीमांकन हेतु मौके पर गये। अनावेदक व्दारा आपत्ति करने पर सीमांकन स्थगित कर वापिस मुख्यालय आने पर सूचना उपरांत दिनांक 27–7–16 को पुनः सीमांकन कार्य आवेदक, अनावेदक के उपस्थिति में किया गया। *** स्पष्ट है कि सीमांकन आवेदक की उपस्थित में हुआ है एंव राजस्व निरीक्षक व्दारा पारित सीमांकन आदेश दिनांक 3–8–16 की जानकारी आवेदक को यथासमय रही है जिसके कारण आवेदक व्दारा अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन में दिया गया विवरण समाधानकरक नहीं है । राजस्व निरीक्षक के आदेश दिनांक 3–8–16 के अनुसार सीमांकन आवेदक एंव अनावेदक की उपस्थिति में करने का उल्लेख है अर्थात सीमांकन पर	

पर आपत्तिकर्ता भी रहा है जिसे निगरानी में पक्षकार नहीं बनाये जाने से पक्षकारों के असंयोजन का भी दोष है।

3/ उपरोक्त कारणों से निगरानी में पक्षकारों के असंयोजन का दोष होने एंव आदेश दिनांक 3–8–16 के विरूद्व निगरानी दिनांक 10–7–17 को प्रस्तुत करने के कारण बेरूम्याद है जिसे जिसके कारण निगरानी इसी–स्तर पर अमान्य की जाती है।

सदस्य